भर्ती घोटाला ▶ स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप-डी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती का मामला

314 पदों के बदले कर दीं 496 नियुक्तियां

- डॉ. आदर्श विश्नोई पर लगे गंभीर आरोप
- कमिश्नर, कलेक्टर से की गई शिकायत

नवभारत, जबलपुर। स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप-डी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने क्षेत्रीय संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, कलेक्टर को शिकायत सौंपकर डॉ. आदर्श विश्नोई पर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं, नियमों की अनदेखी और आर्थिक लेनदेन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा चयन से वंचित योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता आशीष मिश्रा ने दावा किया है कि सूची में मनोज गुप्ता नामक ऐसे व्यक्ति को भी शामिल किया गया है जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। देखने वाली बात होगी कि कमिश्नर, कलेक्टर और शिक्षा विभाग में की गई इस शिकायत की किस तरह से जांच होती है और अगर वास्तव में भर्ती घोटाला हुआ है तो संबंधित डॉक्टर पर क्या गाज गिरती है। फिल्हाल अब जांच के गेंद जिम्मेदार अधिकारियों के पाले में आ चुकी है।

अधिकारियों को की गई शिकायत के अनुसार जबलपुर जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य व्यवस्था सुचारू रखने के लिए उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) के माध्यम से मल्टी स्किल्ड ग्रुप-डी वर्कर्स की भर्ती की जानी थी। जिला स्तरीय निविदा समिति द्वारा कुल 314 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके लिए कलेक्टर से अनुमति भी प्राप्त थी। आरोप है कि निर्धारित संख्या के विपरीत जेयूएस इंटरप्राइजेज के माध्यम से 241 तथा ओम पारस मैनपावर सर्विस के माध्यम से 255 अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार कुल 496 लोगों को नियुक्ति देकर स्वीकृत संख्या से 182 अधिक भर्ती कर ली गई।

बिना चयन समिति अनुमोदन के सूची जारी करने का आरोप

समाजवादी पार्टी के आशीष मिश्रा ने नवभारत को बताया कि भर्ती के लिए गठित साक्षात्कार समिति में डॉ. आदर्श विश्नोई सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम चयन सूची पर समिति के अन्य सदस्यों अजय कुरील और अरुण शाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके बावजूद डॉ. विश्नोई ने 8 जून और 13 जून 2026 को नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची विभिन्न बीएमओ को भेजकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू करा दी थी।

दो दिन में करा दिए 1000 इंटरव्यू

शिकायतकर्ता आशीष मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि 24 और 25 मई 2026 को लगभग 1000 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। उनका कहना है कि मात्र दो दिनों में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का निष्पक्ष साक्षात्कार कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।

डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली का आरोप

शिकायत में डॉ. विश्नोई पर आउटसोर्स कंपनियों के साथ सांठगांठ कर प्रति अभ्यर्थी लगभग 40 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। दावा किया गया है कि करीब 400 नियुक्तियों के एवज में लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई। हालांकि इन तमाम आरोपों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

किस आधार पर कर दीं गईं नियुक्तियां

शिकायत में कहा गया है कि सेडमैप के 3 जून 2026 के पत्र के अनुसार साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से केवल 57 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। ऐसे में शेष नियुक्तियां किस आधार पर की गईं, यह गंभीर जांच का विषय है। आरोप है कि कई ऐसे लोगों को भी नौकरी दे दी गई जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तक नहीं किया था और न ही उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी हुआ था।

महाधिवक्ता कार्यालय की नियुक्तियों के मामले में अंतिम सुनवाई 30 को

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की कथित नियम विरुद्ध नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अंतिम स्तर की बहस शुरु करने के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित कर दी तथा सुनवाई स्थगित कर दी।यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के संयुक्त सचिव योगेश सोनी द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए अर्हता विहीन अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया गया। विवाद 25 दिसंबर को जारी उस सूची से जुड़ा है, जिसमें महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 157 विधि अधिकारियों की नियुक्तियां दर्शाई गई थीं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु न्यूनतम 10 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है, जबकि सूची में शामिल कई अधिवक्ताओं के पास निर्धारित अनुभव नहीं है। याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया को मनमानाए पक्षपातपूर्ण और अधिसूचना के विपरीत बताया गया है।

20 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित

दीक्षांत रिहर्सल के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं ने बहाया पसीना

नवभारत, जबलपुर। महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के 21 जून को प्रस्तावित आगमन और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36 वें दीक्षांत समारोह को लेकर पूरे विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल है। शुक्रवार को कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में दीक्षांत समारोह की तैयारियों के तहत स्वर्णपदक विजेताओं, उपाधिधारकों तथा विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े संकायाध्यक्षों, प्राध्यापकों, अतिथि विद्वानों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों ने रिहर्सल में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। भीषण गर्मी के बावजूद प्रतिभागियों ने घंटों अभ्यास कर समारोह को सफल बनाने के लिए जमकर पसीना बहाया। रिहर्सल के दौरान स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने मंच पर पहुंचकर पदक एवं उपाधि ग्रहण करने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। उन्हें मंच संचालन, आगंतुकों के समक्ष प्रस्तुति, पदक ग्रहण करने की विधि तथा निर्धारित प्रोटोकॉल की विस्तृत जानकारी दी गई थी। कुलगुरु प्रो. वर्मा ने नवभारत को बताया कि राष्ट्रपति भवन से प्राप्त कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार चयनित 20 स्वर्ण पदक धारकों को राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथों से पदक प्रदान करेंगी। निर्धारित प्रोटोकाल के अंतर्गत उनके दीक्षांत प्रेक्षागृह से प्रस्थान के पश्चात् उच्च शिक्षा मंत्री के हाथों से शेष स्वर्ण पदक एवं उपाधियां प्रदान की जायेंगी। दीक्षांत रिहर्सल के दौरान मंच तक पहुंचने, उपाधि एवं पदक ग्रहण करने, अतिथियों के स्वागत, बैठने की व्यवस्था तथा समारोह की संपूर्ण कार्यप्रणाली का अभ्यास कराया गया। विदित हो कि गत दिवस राष्ट्रपति के हाथों सम्मान न मिलने की बात पर स्वर्ण पदक धारी और पीएचडी उपाधि की छात्राओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया था जिसके बाद विवि प्रशासन ने फैसला लिया कि राष्ट्रपति के बाद उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा भी पात्र छात्र-छात्राओं को सम्मानित कराया जाएगा। कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर को भी समारोह के अनुरूप सजाया-संवारा जा रहा है और तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार आगामी दीक्षांत समारोह संस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक होगा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगू भाई पटेल, विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति होगी।

अंजुमन स्कूल विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, राज्य शासन व प्राचार्य को नोटिस

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ के समक्ष अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर के प्राचार्य पर अभद्र व्यवहार और पुलिस की कथित निष्क्रियता के आरोपों के मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी मुजम्मिल अली की ओर से अधिवक्ता अक्षय नामदेव ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि 10 फरवरी 2026 को वह अपनी भांजी की फीस जमा करने स्कूल पहुंचे थे, जहां प्राचार्य ने कथित रूप से उन्हें परिसर में प्रवेश से रोका और अपमानजनक व्यवहार किया। याचिका के अनुसार यह घटना अकेली नहीं थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि स्कूल प्रशासन के कुछ निर्णयों, विशेषकर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किए जाने पर आपत्ति उठाने के बाद उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया गया। मामले की शिकायत लार्डगंज थाना और पुलिस अधीक्षक जबलपुर को भी की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

हाईकोर्ट ने री-वैल्यूएशन की मांग निरस्त की

मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय मानते हुए पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाले दो छात्रों की याचिकाएं निरस्त कर दीं। कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने उक्त निर्देश जबलपुर निवासी बीएचएमएस छात्र अमरजीत भारद्वाज तथा एमएससी नर्सिंग छात्रा प्रेमलता तिवारी की याचिकाओं पर सुनाया। दोनों ने दावा किया था कि उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ उत्तर सही चिन्हित होने के बावजूद उनके अंक नहीं जोड़े गए। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट ने उत्तर पुस्तिकाओं का स्वतंत्र विशेषज्ञों से पुनर्मूल्यांकन कराया। जांच में नर्सिंग छात्रा के अंक यथावत रहे, जबकि बीएचएमएस छात्र को पहले से भी कम अंक मिले।

साढ़े चार करोड़ की गुणवत्ताहीन सड़क का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

जबलपुर। सीधी जिले में 457 लाख की गुणवत्तीन सड़क निर्माण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने शुक्रवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर रीवा व केडी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता आदित्य नारायण सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि सीधी में खामा-गिजवार-टिकरी पथरौला मार्ग के निर्माण में जमकर अनियमितता की गई है। गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कर लाखों रुपये का बंदरबांट किया गया है। आरोप है कि 457 लाख से बनी उक्त सडक निर्माण में जमकर घोटाला हुआ है। जिसकी शिकायत पर जांच के निर्देश जारी किये गये थे। जांच में अनियमितता पाये जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व केडी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी को पक्षकार बनाया गया है। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

भाजपा विधायक के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सरकार को नोटिस

जबलपुर। पूर्व आर्म्स डीलर ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ मानहानि का आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कटनी निवासी नाजिम खान की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि कैमोर में 28 अक्टूबर हुए एक हत्याकांड के बाद स्थानीय विधायक संजय पाठक ने कहा था कि कटनी का एक भाईजान है जो पूर्व आर्म्स डीलर था। उसकी दुकान से 14 हजार गोलियां गायब हो गयी, जिसकी जांच नहीं हुई। जिसकी जांच की मांग करते हुए उन्होने याचिकाकर्ता नाजिम खान का नाम लिया था।

याचिका में कहा गया था कि आर्म्स दुकान को सरेंडर करते हुए जारी की गयी गोलियां तथा हथियारों की गिनती प्रशासन के द्वारा की गयी थी। इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा पुन जांच करवाई गई थी। जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाये जाने के कारण प्रशासन की तरफ से उन्हें क्लीन चीट दी गयी थी। याचिका में कहा गया था कि सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेकर छबि धूमिल किये जाने पर उन्होने विधायक संजय पाठक को एक रुपये की मानहानि का नोटिस दिया था। इसके अलावा उन्होने संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी विधायक पाठक के खिलाफ अपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग करते हुए आवेदन दिया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका में राज्य सरकार, पुलिस अधिकारियों तथा विधायक संजय पाठक को अनावेदक बनाया गया था। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य सरकार व पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है।

बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस में लगे दो अतिरिक्त कोच

जबलपुर, नवभारत। रेल प्रशासन द्वारा नीट पुनर्परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों और यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल से संचालित गाड़ी सांख्य 18247/18248 बिलासपुर रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में तीन दिनों के लिए दो अतिरिक्त सामान्य (जनरल) श्रेणी का कोच लगाए गए हैं। इससे यात्रियों को अतिरिक्त बैठने की सुविधा मिलेगी तथा भीड़भाड़ में कमी आएगी। गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस में प्रारंभिक स्टेशन बिलासपुर से 19 जून से 21 जून तक 02 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी का कोच लगाया। इसी प्रकार, वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 18248 रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस में प्रारंभिक स्टेशन रीवा से दिनांक 20 जून से 22 जून तक 02 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी का कोच लगाया जाएगा।

नीट परीक्षा कल : बायोमैट्रिक, सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगे

वीवीआईपी मूवमेंट में 23 केंद्रों में सवा तीन घंटे की होगी परीक्षा, बना ट्रैफिक प्लान परीक्षार्थियों को रहेगी छूट

जबलपुर। नीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा कल जिले 23 परीक्षा केन्द्रों पर होगी । री-नीट की परीक्षा रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक होगी। परीक्षा की कुल अवधि सवा तीन घंटे की होगी। इस बार सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों में गुरूवार को बायोमैट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर लगा दिए गए है। आज इनका ट्रायल रन भी होगा। परीक्षा वीवीआईपी मूवमेंट में होना है। राष्ट्रपति का जबलपुर प्रवास प्रस्तावित है और इसी दिन नीट परीक्षा भी होनी है। जिसको लेकर पुलिस, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर ली गई है। नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्र जाने वाले छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इन सभी प्रतिबंधित मार्गों से भी गुजर सकेंगे। उन्हें ट्रैफिक डायवर्जन से पूरी तरह छूट दी गई है।

शहर से दूर तीन परीक्षा केन्द्र, बसों की होगी व्यवस्था

तीन परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनकी दूरी शहर से कुछ अधिक है। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये ऐसे परीक्षा केंद्रों तक पेमेंट बेसिस पर दो-दो बसों के संचालन की व्यवस्था की है। समाधि रोड बरबटी स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिये रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-एक से एक बस सुबह 10 .30 बजे और दूसरी सुबह 11 .30 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के पास ग्राम मंगेली स्थित परीक्षा केंद्र शासकीय श्रमोदय आवासीयविद्यालय के लिये मेडिकल कॉलेज तिराहा जबलपुर से एक बस सुबह 10 .30 बजे एवं दूसरी सुबह 11 .30 बजे रवाना होगी। डुमना एयरपोर्ट रोड स्थित परीक्षा केंद्र राज्य होटल प्रबंधन संस्थान के लिये रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर-एक से भी एक बस सुबह 10 .30 बजे और दूसरी बस सुबह 11 .30 बजे रवाना होगी।

कई रास्ते होंगे डायवर्ट, कुछ नो व्हीकल जोन घोषित

जबलपुर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति का 20 और 21 जून को जबलपुर आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति 21 जून को सुबह सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में मुख्य योग कार्यक्रम और उसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए पुलिस प्रशासन ने रविवार, 21 जून को शहर के कई प्रमुख रास्तों को डायवर्ट किया है और कुछ क्षेत्रों को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। इस दौरान नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी गई है, वे इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। गैरिसन ग्राउंड सदर योग कार्यक्रम के दौरान तैयार किया गया ट्रैफिक प्लान में सभी भारी वाहनों, यात्री बसों और लोडिंग गाड़ियों को एकता मार्केट से डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन एकता मार्केट से चूल्हागोलाई होकर शहर के अंदर आ-जा सकेंगे। मंडला की तरफ से आने वाली गाड़ियां पेन्टीनाका से डायवर्ट होकर समन्वय चौक के रास्ते आगे बढ़ सकेंगी। जायसवाल पेट्रोल पंप से कटंगा और बंदरिया तिराहे की ओर जाने वाला रास्ता खुला रहेगा। पेन्टीनाका, सृजन चौक, यादगार चौक और टीआई क्रासिंग की ओर से गैरिसन ग्राउंड की तरफ आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश सुबह 6 से 9 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। नर्मदा क्लब ग्राउंड, आर.सी.एम. ग्राउंड, मुर्गी मैदान ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दूसरे ट्रैफिक प्लान के तहत राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के समय विश्वविद्यालय के सामने का मुख्य रास्ता सामान्य जनता के लिए सुबह 11 बजे से 11:45 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से 01:15 बजे तक बंद रहेगा।

फोर व्हीलर ने रौंदा, महिला की मौत

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत खजरी खिरिया बाईपास के पास गुरूवार को एक तेज रफ्तार फोर व्हीलर चालक ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिवानी विश्वकर्मा (35) निवासी सिहोरा जयभवानी कॉलोनी की गुरूवार दोपहर करीब 12 बजे खजरी खिरिया के पास हाईवे रोड से गुजर रही थीं, तभी एक अज्ञात फोर व्हीलर वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि शिवानी सड़क पर गिरकर लहुलूहान हो गईं। घटना की जानकारी मिलते ही शिवानी के देवर गोलू विश्वकर्मा और पंकज विश्वकर्मा तुरंत मौके पर पहुँचे। दोनों भाई आनन-फानन में घायल शिवानी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर भागे। दोपहर करीब 1 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद शिवानी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही खजरी खिरिया हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी वाहन का सुराग लगाया जा सके।

सीबीआई जांच में सूटेबल पाये गये कॉलेज की परीक्षा को हरी झंडी

हाईकोर्ट ने प्रदान की शैक्षणिक सत्र 2022-23 के परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति

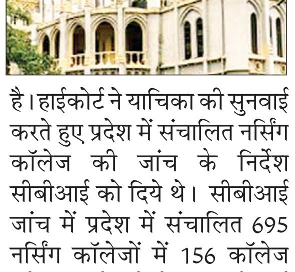

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक एवं जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सीबीआई जांच में सूटेबल पाये गये नर्सिंग कॉलेज की जीएनएम तृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को प्रदान की है। इसके अलावा युगलपीठ ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की भी अनुमति प्रदान की है। युगलपीठ ने सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाये गये कॉलेजों की परीक्षा के आयोजन पर रोक बरकरार रखी है। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता विषाल बघेल की तरफ से दायर जनहित याचिका में प्रदेष में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि निर्धारित ष्षर्तो का पालन नहीं करने के बावजूद भी कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गयी है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिये थे। सीबीआई जांच में प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में 156 कॉलेज सूटेबल पाये गये थे। जांच में पाई गयी कमियों को दूर कर 89 कॉलेजों भी सूटेबल की श्रेणी में आ गये थे। याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान नर्सिंग कौंसिल की तरफ से नर्सिंग कॉलेजों के लंबित परीक्षाएं कराने और परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति की मांग करते हुए आवेदन पेष किया था। याचिकाकर्ता की तरफ से सीबीआई जांच में पाये गये अनसूटेबल कॉलेज की परीक्षा के आयोजन पर आपत्ति व्यक्त की गयी। युगलपीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की।